बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–20.02.2026

संचिका संख्या–03/आ01–98/2024 अंश'ग' I/368307 जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–1561 दिनांक–21.06.2024 द्वारा किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितताओं का उप विकास आयुक्त, किशनगंज की अध्यक्षता में गठित जाँच दल का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक–16 दिनांक 19.06.2024) प्राप्त कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में किशनगंज जिले में बेंच–डेस्क योजना, विद्यालय जीर्णोद्धार एवं प्री–फैब स्ट्रकचर निर्माण, ICT Lab की स्थापना एवं नाईट गार्ड की बहाली, पेय जल योजना एवं House Keeping योजना के तहत वेंडर का चयन एवं भुगतान में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि का दुर्विनियोजन इत्यादि आरोपों के लिए श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय संकल्प संख्या–81 दिनांक–01.07.2024 द्वारा निलंबित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–2478 दिनांक–09.09.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्री राजेश कुमार सिन्हा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत् हैं–

1. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा उनके पदस्थापन के समय से हीं नियमपूर्वक कार्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।
2. तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज श्री राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा लगभग 20 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान फर्जी विपत्र के आधार पर किया गया है। अधिकांश विपत्र पर प्रधानाध्यापक का फर्जी हस्ताक्षर अंकित है, जाँच दल द्वारा कई विद्यालयों का Randomly जाँच किया गया तो पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों में बिना बेंच–डेस्क आपूर्ति के ही पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। साथ हीं जाँच दल द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर पाया गया कि प्रायः अधिकांश विपत्रों पर प्रधानाध्यापक द्वारा जो सत्यापन कराया गया है वह हस्ताक्षर संबंधित प्रधानाध्यापक का नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित राशि का पूर्ण भुगतान भाउचर एवं प्राप्ति प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानाध्यापक के फर्जी हस्ताक्षर से निकाला गया है, जो स्पष्टतः सरकारी राशि का गबन है।
3. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2093 दिनांक–25.11.2023 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बेंच–डेस्क योजना में फर्जीवाड़ा करते हुए लगभग 20 करोड़ रूपये राशि का दुर्विनियोजन एवं वित्तीय अनियमितता किया गया है। जो एक गंभीर प्रकृति का आपराधिक कृत्य है।
4. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा विभागीय पत्रांक–345 दिनांक 05.01.2024 के द्वारा राज्य के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अंतर्गत अतिरिक्त कक्ष निर्माण, Seating Capacity में वृद्धि (Prefab Structure) हेतु निर्माण, विद्यार्थियों को बैठने के लिए बेंच डेस्क क्रय करने एवं उनके रख–रखाव, विद्यालयों के जीर्णोद्धार, Campus सौंदर्यकरण आदि अन्य प्रकार के मरम्मति/जीर्णोद्धार हेतु जिलावार प्राप्त राशि में फर्जीवाड़ा करते हुए उक्त राशि का दुर्विनियोजन एवं वित्तीय अनियमितता किया गया है, जो एक गंभीर प्रकृति का आपराधिक कृत्य है।
5. प्रशासनिक पदाधिकारी, विहार शिक्षा परियोजना परिषद्, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर, पटना का पत्रांक–5608, दिनांक 19.08.2023 में बी.ओ.ओ. मोडल के तहत संचालित किये जाने वाले आई.सी.टी. लैब में लेपटॉप डेस्कटॉप एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति हेतु 13 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया था। श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा उक्त निदेशों के आलोक में सूचीबद्ध भेण्डरों को छोड़कर मनचाहे गैर सूचीबद्ध एवं स्थानीय वेण्डरों को आपूर्ति हेतु

चयनित किया गया। गैर सूचीबद्ध वेण्डरों, स्थानीय वेण्डरों की चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की नो तो निविदा निकाली गयी और न ही किसी विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त राशि की 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान भी गलत तरीके से किया गया है, जो एक गंभीर प्रकृति का आपराधिक कृत्य है।

6. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा 109 प्रारम्भिक विद्यालयों एवं 65 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मनमाने ढंग से गैर सूचीबद्ध वेण्डरों को विना विहित प्रक्रिया अपनाये कार्य आवंटित किया गया, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ राशि का दुर्विनियोजन एवं वित्तीय अनियमितता किया गया है, जो एक गंभीर प्रकृति का आपराधिक कृत्य है।
7. निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव, बिहार, पटना के पत्र सं०-1515 दिनांक-28.08.2023 में सभी विद्यालयों की साफ-सफाई हेतु मार्गदर्शन दिया गया है, जिसमें जिलावार एजेंसी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि कार्यावंटन पत्र प्राप्ति के सात दिन के अंदर निविदा की शर्तों के अनुरूप एकरारनामा राशि का 5 प्रतिशत परफोर्मेस बैंक गारंटी जमा कराते हुए एकरारनामा संम्पादित किया जाना था, परन्तु श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा बिना परफॉमेंस बैंक गारंटी जमा कराये हुए ही विभिन्न सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध वेंण्डर को कार्य आवंटन किया गया तथा बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के लगभग 1 करोड़ राशि का गलत भुगतान किया गया।
8. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा विभाग में कार्यरत अभियंताओं की वेतन कटौती एवं नौकरी से हटाने का दवाब डालकर संबंधित गलत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराया जाता है।
9. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज के द्वारा लगभग 40 करोड़ रूपये से अधिक राशि का दुर्विनियोग किया गया है।
10. श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज का उक्त कृत्य उनकी आपराधिक मानसिकता एवं राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने की प्रवृति का सूचक है।
11. **श्री राजेश कुमार सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज एक जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, जिनके द्वारा लगभग 40 करोड़ रूपये से अधिक विभागीय राशि का दुर्विनियोग अत्यंत हीं अशोभनीय, असम्मानजनक तथा राज्य सरकार को धोखा देने जैसा है। श्री सिन्हा का उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (ii), 3 (2) एवं 3(3) के सर्वथा प्रतिकूल है।**

3. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-172 दिनांक-24.09.2024 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। प्राप्त बचाव अभिकथन में श्री सिन्हा द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों का कंडिकावार खंडन किया गया।

4. प्रस्तुत मामले में वृहद जांच की आवश्यकता को समझते हुए विभागीय संकल्प संख्या-214 दिनांक 13.11.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17/19 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

5. श्री सिन्हा को सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को कार्यालय आदेश संख्या-275 दिनांक 18.06.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह मंतव्य प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिन्हा के पदस्थापन काल में उनके द्वारा ही कतिपय विद्यालयों में बेंच-डेस्क की आपूर्ति लिये बिना ही उससे संबंधित राशि का पूर्ण भुगतान किया गया है, जो नियम विरूद्ध कार्य के श्रेणी में आता है। फलतः श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप संख्या 01 में प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है। कतिपय विद्यालयों में बिना बेंच-डेस्क आपूर्ति के ही पूरी राशि का

भुगतान कर दिये जाने, उक्त योजना में फर्जीवाड़ा तथा राशि का दुर्विनियोजन एवं वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं क्योंकि जिन विद्यालयों में बेंच–डेस्क की आपूर्ति लिये बिना राशि का भुगतान किया गया है, वे सभी भुगतान श्री सिन्हा द्वारा किये गये हैं। अतएव तत्संबंधित आरोप संख्या–02, 03 एवं 09 प्रमाणित होता है। श्री सिन्हा एवं बेंच–डेस्क के अभिश्रव भुगतान से संबंधित कर्मी द्वारा अभियंताओं पर दबाव बनाये जाने एवं गलत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लेने से स्पष्ट तौर पर इन्कार नहीं किया जा सकता है। फलतः श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप संख्या–08 में प्रतिवेदित आरोप आंशिक रुप से प्रमाणित होता है। बिना बेंच–डेस्क की आपूर्ति किये ही उससे संबंधित पूरी राशि का भुगतान इनके द्वारा कर दिया गया है, अतएव श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप संख्या–10 एवं 11 में प्रतिवेदित आरोप स्पष्ट रुप से तो नहीं परन्तु आंशिक रुप से प्रमाणित होता है।

6. उक्त प्रमाणित एवं आंशिक प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के तहत विभागीय पत्रांक–299 दिनांक 21.07.2025 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

7. श्री राजेश कुमार सिन्हा के पत्रांक–शून्य दिनांक 12.09.2025 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पत्रांक–191 सी० दिनांक 20.07.2023 जो सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को संबोधित है, के द्वारा समग्र शिक्षा खाता, मध्याह्न योजना खाता, सरकारी बैंक खाता, विकास कोष बैंक खाता के संचालन में प्र०अ०/प्र०प्र०अ० की भूमिका/5 (पाँच लाख) तक की योजना का चयन/बी0ई0पी0 के कनीय अभियन्ता से Estimate बनाना/बी०ई०पी० के सहायक अभियन्ता से तकनीकी अनुमोदन तथा भुगतान हेतु प्र०अ०/ प्र०प्र०अ० को प्राधिकृत किया गया है। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की प्रत्यक्ष भूमिका का उल्लेख नहीं है। अनुश्रवण/गुणवत्ता की जाँच हेतु अभियन्ताओं का अनुश्रवण दल गठित करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया है। इन विभागीय निदेशों से स्पष्ट है कि सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के मुख्यतः प्र०अ०/प्र०प्र०अ० तथा अभियंत्रण कोषांग का उत्तरदायित्व है। कहीं भी प्राप्त विपत्र की जाँच का दायित्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को नहीं दिया गया है। अभियन्ताओं दबाव देकर हस्ताक्षर कराने की बात है यह पूर्णतः गलत है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि यह मामला वित्तीय अनियमितता का है जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित अधिकांश आरोपों को प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित पाया गया है। बेंच डेस्क की बिना आपूर्ति हुए फर्जी भुगतान के इस महत्वपूर्ण मामले में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा यह कहा जाना कि सामग्रियों की प्राप्ति अथवा विपत्र के जांच किए जाने का दायित्व उनका नहीं था, यह कदापि स्वीकारणीय नहीं हो सकता है। विपत्र की निकासी कर उसका भुगतान करने की भूमिका (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) के रूप में श्री सिन्हा का यह दायित्व था कि वे प्रत्येक भुगतान की वैधानिकता एवं उसके सही होने का सत्यापन कर उससे संतुष्ट होने के पश्चात ही भुगतान करते। किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र अथवा विपत्र को सही मानकर बिना सामग्री आपूर्ति के भुगतान किया जाना घोर कदाचार, मिलीभगत एवं वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट द्योतक है। अतएव श्री राजेश कुमार सिन्हा का लिखित अभिकथन अस्वीकृत किया गया।

9. श्री राजेश कुमार सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत " **पेंशन से सदा के लिए 25 प्रतिशत की राशि की कटौती** " की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

10. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4584 दिनांक–13.02.2026 द्वारा **श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत** के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

11. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

" पेंशन से सदा के लिए 25 प्रतिशत की राशि की कटौती " ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/ आ01–98/2024अंश'ग' ..1/368307/ पटना, दिनांकः–20.02.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज सम्प्रति सेवानिवृत (पता–शेरशाह रोड, गुड़ की मंडी (गुप्ता कॉलोनी), अपोजिट सकरी गली मोड़, पटना, बिहार, पिन–800007) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 20-02-2026 13:33:17
निदेशक (प्रशासन)